प्रकरण संख्या 30/2019 चम्पालाल बनाम प्रतापलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सूरजगढ़ में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमियां स्थित हैं, जिसके मूल पुरूष हमेराजी होकर पक्षकारान उनके वारिस हैं। हमेरा जी ने दो विवाह केसरबाई व छगनीबाई से किये, दोनों से एक–एक पुत्र चम्पालाल व प्रतापलाल हुए। चम्पालाल जब 10 वर्ष का था, तब हमेरा ने पहली पत्नी केसरबाई से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया, किन्तु वादी हमेरा की प्रथम पत्नी का वारिस होने से विवादित भूमियों में उसका 1/2 हिस्सा है, किन्तु प्रतिवादीगण ने मिलीभगत कर नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया एवं वादी को भूमियां विक्रय करने की धमकी देते हैं। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमियों का हमरेा के सभी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य विभाजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 16.06.2015 से प्रकरण ड्रोप कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13.08.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री कुलदीप शर्मा एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी उन्हें सर्व प्रथम दिनांक 19.07.2019 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर हुई। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन का अवलोकन करने पर हमने पाया कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखे जाने की किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट को दिया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः	

न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि पत्रावली रेस्पोन्डेन्ट की तामील में चल रही थी, अचानक प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट को बिना सुने वाद की कार्यवाही ड्रोप करने का आदेश दे दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट/वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताया एवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में प्रतिवादी की तलबी हेतु दिनांक 06.10.2014 को नियत था। इसके बाद की लगातार 7 पेशियों में न्यायालय की छाप लगी होकर पीठासीन अधिकार अन्य कार्य में व्यस्त होने/चुनाव कार्य में व्यस्त होने का अंकन करते हुए पत्रावली दिनांक 11.05.2015 को रखी गयी, किन्तु बिना प्रतिवादी की तलबी हुए प्रकरण उक्त दिनांक के स्थान पर सीधे ही दिनांक 16.06.2015 को राजस्व कैम्प में रखकर वाद की कार्यवाही ड्रोप किये जाने का आदेश दे दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.15 11:55:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: